संख्या–3173/बयालिस–2010–19–बजट/2009

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग

लखनऊ::दिनांक 30 अक्टूबर,2010

विषय :–13–राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जी–572/2010–11, दिनांक 13–10–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के संदर्भ में नई दिल्ली में आयोजित कामनवेल्थ गेम्स, 2010 में उ0प्र0 पदक विजेता खिलाड़ियो को शीघ्र पुरस्कार दिये जाने हेतु 100.00 लाख (रू0 एक करोड़) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :–

1–उक्त स्वीकृत धनराशि प्रदेशन मात्र है यह किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त–पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार तथा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2–शासकीय व्यय में मितव्ययिता हेतु निर्गत शासनादेश सं0–सीए–934/ 10–2004–मित–1/2007 दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष पालन किया जाए।

3–जिन मदों में निदेशालय के नियंत्रक अधिकारी स्वंय अपने स्तर से धनराशि स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत हैं उन स्वीकृतियों से संबंधित आदेश की प्रति शासन को अनिवार्य रूप से पृष्ठांकित करके उपलब्ध करायी जाएगी तथा व्यय के वास्तविक विवरण भी माह के 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिशिचत किया जाएगा।

2–उक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–22 के लेखा शीर्षक 2204–खेलकूद तथा युवा सेवाएं–104–खेलकूद– आयोजनेत्तर–

.....2/

13 –राष्ट्रीय/अर्न्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार–20–
अनुदान/अंशदान/राज सहायता'' के नामें डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5 के आदेश संख्या– 1274/ दस/ 2010
/2010 दिनाक 22 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय,
29.10.10
(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या–3173/बयालिस–2010–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार {लेखा एवं हकदारी} प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार {लेखा परीक्षा} प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4– वित्त {व्यय नियंत्रण} अनुभाग–5 ।
5– वित्त {आय–व्ययक} अनुभाग–1/2 ।
6– निजी सचिव मा0 मंत्री जी खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग/निजी सचिव प्रमुख सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
7– मार्ड फाइल।

आज्ञा
(अनिल कुमार)
अनु सचिव